POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 05

मासिक प्रेषण दि. 8 मई, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 मई, 2025 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आवश्यक मानते हुए महसूस किया कि समाचार संग्रहण, जो पत्रकारिता की आत्मा है, को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। धरातल से जुड़े समाचारों और संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत पर अधिक बल देते हुए उन्होंने कहा 'मानवीय मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता कभी समाप्त नहीं होने वाली है।'

जैसा कि पाठकों को विदित है, इन्हीं उद्देश्यों के साथ 'ग्राम गदर' भित्ती-पत्र का प्रकाशन 1983 से शुरू हुआ। उस समय दीवार पर चिपकाया जाने वाला यह भित्ती-पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभावी और लोकप्रिय रहा। डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी, जिन्हें ई.डी.कर्मचारी कहा जाता था, उन्होंने इसे खुद अपनी स्वेच्छा से गांव के चौराहों पर चिपकाकर मुझे सहयोग दिया। वहां गांवों में लोग एकत्रित होकर इसे पढ़कर और सुनकर लाभान्वित होते थे।

ग्रामीण धरातल से जुड़ा यह भित्ती-पत्र आज उससे भी अधिक उपयोगी सिद्ध हो रहा है। यह इस तथ्य से जाहिर होता है कि जिस व्यक्ति की कहीं भी 'ग्राम गदर' पर दृष्टि पड़ी वह इस भित्ती-पत्र को मंगाने के लिए लालायित रहता है। इस आशय के अनेक पत्र एवं समाचार राज्य के ग्रामीण इलाकों से ही नहीं वरन् अन्य राज्यों के शहरों, कस्बों और गांवों से भी प्राप्त होते रहे हैं।

इसकी खास वजह ग्रामीण समाज के सुझावों और समय की मांग के अनुरूप समय-समय पर भित्ती-पत्र को नया रूप प्रदान करना रहा है। राज्य की कई ग्राम पंचायतों, गांवों में खुले सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा स्कूलों से भी इस भित्ती-पत्र की अकसर मांग आती रही है। मांग को पूरा करने के लिए 'ग्राम गदर' के प्रकाशन की संख्या बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता रहा है।

नहीं हो रही पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखने के नियमों की पालना

एक्सपायरी डेट के बाद किसी भी खाद्य उत्पाद का सेवन हानिकारक हो सकता है। लेकिन कंपनियां खाद्य सामग्री पर एक्सपायरी डेट लिखने के नियमों का सही रूप से पालन नहीं कर रही है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों में उत्पाद पर एक्सपायरी डेट 3 मिमी फॉन्ट में नीले, काले या सफेद रंग से लिखनी अनिवार्य है। जिसे ग्राहक आसानी से देख और पढ़ सके। साथ ही पैकेट पर बार कोड़ भी जरूरी है, जिसमें उपभोक्ता को खाद्य उत्पाद की सारी जानकारी मिले।

कई उत्पादों पर एक्सपायरी या यूज बाय डेट छुपे हुए तरीके से लिखी होती है या आसानी से पढ़ने में नहीं आती हैं। उत्पाद की सारी जानकारी मोटे अक्षरों में पैकेट के दिखने-पढ़ने लायक जगह पर लिखी होनी चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों का दावा है कि लेबलिंग, चेतावनी व एक्सपायरी डेट के नियमों के उल्लंघन पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ग्राहक नियमों का उल्लंघन देखे तो जिला सचिवालय में फूड सेफ्टी कमिश्नर को शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम या जागो ग्राहक जागो पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। लेबल में गड़बड़ी के आरोप साबित होने पर निर्माता, दुकानदार, रिटेलर व अन्य पर 10 हजार से लेकर 3 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है।

डिफेक्टिव स्लीपर बेचना महंगा पड़ा : देना होगा 45 हजार रुपए हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में सुनीता कुमावत ने एरो क्लब (वुडलैंड इंडिया) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उनके वकील द्वारा बताया गया कि परिवादिया ने विपक्षी पार्टी के यहां से 1836 रुपए में स्लीपर की एक जोड़ी खरीदी थी। खरीदने के एक महीने बाद ही स्लीपर में डिफेक्ट आना शुरू हो गया। स्लीपर का कलर फेड हो गया और वह जगह-जगह से फट गया। वह किसी भी तरह पहनने के लायक नहीं रहा। स्लीपर पर 90 दिन की गारंटी दी गई थी। परिवादिया ने विक्रेता से इसकी शिकायत की तो वह टालमटोल करने लगा। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी विक्रेता ने स्लीपर नहीं बदली और न ही उसकी कीमत वापस की है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्टिव स्लीपर बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया। आयोग ने विक्रेता एरो क्लब (वुडलैंड इंडिया) को आदेश दिया कि वह सुनीता कुमावत को 45 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही निर्देश दिया कि वह उन्हें स्लीपर की कीमत 1836 रुपए भी परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस दें।

किसानों तक पहुंचेगी एआइ तकनीक

खेती में भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ तकनीक का उपयोग होगा। सरकार प्रदेश के किसानों को घर बैठे एआइ से जल प्रबंधन और पोषक तत्वों के प्रबंधन की जानकारी देगी। इससे खेती में पानी की बचत होगी साथ ही जमीन के पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा किया जाएगा।

उद्यान विभाग परियोजना पर एक साल में करीब 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पायलट परियोजना के रूप में प्रथम चरण में 7900 किसानों को इस तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हर जिले में किसानों का चयन किया जा रहा है। इस तकनीक से किसानों को मौसम के पूर्वानुमान का भी पता चल सकेगा, जिससे खेत में बुवाई से लेकर कटाई तक में फायदा मिलेगा। कौन से मौसम में किस फसल की बुवाई की जानी है, इसकी भी जानकारी मिलेगी।

स्वामित्व योजना है दूरदर्शी कदम

केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनके अधिकार प्रदान करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण व दूरदर्शी कदम है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी इस योजना से लाखों ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो कर संपत्ति के 'कानूनी मालिक' बन गए हैं।

यह योजना ग्रामीणों के लिए उनके संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। माना जा रहा है कि इससे गांवों का समग्र विकास और ग्रामीण परिवारों का सशक्तिकरण होगा। इस योजना में ड्रोन तकनीक से गांव की आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है एवं डिजिटल मैप के आधार पर भू-स्वामित्व धारकों को स्वामित्व कार्ड और पट्टा दिया जाता है। यह योजना बेहतर सुशासन, वित्तीय समावेशन और विवादों के समाधान में मददगार साबित होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बने अमृत सरोवर

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या और भूजल की कमी को पूरा करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी। इस योजना के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए है। योजना के तहत देशभर में 68 हजार 842 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इनमें सबसे ज्यादा 16630 अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। राजस्थान में 3138 अमृत सरोवर बन कर तैयार हो चुके हैं। राजस्थान इस मामले में चौथे नम्बर पर है। यहां रेगिस्तानी जिलों में भी सरोवरों का निर्माण किया गया है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा,पाली और उदयपुर जिला इनमें आगे है। कई जगह अमृत सरोवर को पर्यटक स्थलों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। जल संकट से जूझते क्षेत्रों के लिए यह योजना नई उम्मीद लेकर आई है।

किसान कराएं खेत की मिट्टी की जांच

खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका खास मकसद खेती की जरूरत के मुताबिक पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है। इससे उत्पादन बढ़ता है और लागत में भी कमी आती है। मिट्टी के स्वास्थ्य से ही हमारी सेहत जुड़ी है।

अधिक पैदावार व लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है। इसके लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत जरूरी होता है। जांच से पता चलता है कि खेत की मिट्टी में कौनसा पोषक तत्व उचित, अधिक या कम मात्रा में है। किसानों को मिट्टी के अनुकूल कृषि पद्धति अपनानी चाहिए।

उद्यमियों को आसानी से मिलेगा कर्ज

उद्यमी बनने की इच्छा रखने वाले ग्रामीणों को अब सरकारी बैंक से ऋण लेना आसान हो जाएगा। छोटे उद्यमियों को यह सहूलियत देने के लिए सरकारी बैंक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का फ्रेमवर्क विकसित कर रहे हैं। इससे डिजीटल आधार पर भी क्रेडिट स्कोर तैयार किया जा रहा है।

बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना से भी इस फ्रेमवर्क को तैयार करने में मदद मिलेगी। क्रेडिट स्कोर के आधार पर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले छोटे उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ऋण आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जा सकता है। गांवों में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा।

मेरा परिवार है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे

यह सोच है डूंगरपुर जिले के घटाऊ ग्राम पंचायत के पांचवीं तक पढ़े माधु रेबारी किसान की, जिसने खेती करके व दूध बेचकर अपनी जिंदगी में 18 लाख रुपए बचाए। उन्होंने यह सारे पैसे गांव के उच्च प्राथमिक विधालय को दान कर दिए, ताकि स्कूल का विकास व गांव के बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो।

कच्चे घर में रहने वाले माधु गांव के इस सरकारी स्कूल को अपनी कमाई से हुई बचत दान कर देते हैं। माधू हर हफ्ते स्कूल पहुंचते हैं और बच्चों को बागड़ी भाषा में अच्छी कहानियां सुनाते हैं। माधू का यह दान अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गया है और अब स्कूल को दान देने की परंपरा बन गई है। यहां तक कि अब स्कूल के लिए हर घर से दान आता है और गांव वालों की निगरानी में विकास के काम हो रहे हैं।

महिलाओं की कोख में दम तोड़ रहे बच्चे

जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के लिए अशिक्षा और कुपोषण पीड़ादायक बन गया है। जनजाति अंचल बांसवाड़ा में गत पांच वर्ष में 4 हजार से भी ज्यादा गर्भस्त शिशुओं की मौत सरकार व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर सवाल खड़े करती है। यहां रोज दो गर्भस्त शिशुओं की मौत हो रही है।

इनमें 70 फीसदी से अधिक जनजाति महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देना, स्वास्थ्यप्रद खाना नहीं मिलना एवं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाना जैसी कई वजह हैं, जिससे महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) पाई जाती है। यह मातृ-शिशु मौत का कारण बनती है। जबकि स्वास्थ्य पोषण दिवस व प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के तहत गर्भवती को स्वास्थ्यवर्धक आहार, जांच और परामर्श दिया जाता है।

बनेंगे नए गोदाम, बढ़ेगी भंडारण क्षमता

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 मीट्रिक क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक क्षमता के 50 नए गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं क्रय-विक्रय समितियों को 33 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

इसके साथ ही 100 ग्राम सेवा समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी सहकारी समितियों के पास 6 हजार मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता है। किसान किराया देकर गोदामों में फसल को सुरक्षित रख सकेंगे। इससे फसलों की बहुत कम मूल्य पर बिक्री रुकेगी और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई उपज को भी इनमें रखा जा सकेगा।

पर्यटकों को रास आ रहा ग्रामीण अंदाज

देशी-विदेशी पर्यटकों को अब गांवों की कला संस्कृति, खेत-खलियान, प्राकृतिक सौंदर्य, खान-पान आदि लुभाने लगे हैं। उन्हें थ्री व फाइव स्टार होटलों से भी बढ़कर गांव की झोंपड़ी, चूल्हा, चक्की, गाय का दूध-दही एवं ग्रामीण महिलाओं के बनाए देशी व्यंजन जैसी चीजें ज्यादा लुभा रही हैं।

यह देखकर अच्छा लगता है, पर्यटक खेत से सब्जी तोड़ कर लाते हैं और चूल्हे पर खुद सब्जी बनाने का प्रशिक्षण लेते हैं। बाजरे-मक्के की रोटी हो या छाछ-राबड़ी जैसे सभी आहार उन्हें ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जयपुर, कोटा-बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे कई जिलों के आस-पास के गांवों में यह नजारा देखकर, राज्य सरकार भी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। गांवों में फार्महाउस बन रहे हैं और उनमें पर्यटकों के लिए ग्रामीण संस्कृति की सुविधाएं भी जुटाई जाने लगी हैं।

प्रदेश में गांव बनेंगे बीपीएल मुक्त

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा।

उन्होंने भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस कार्यक्रम के तहत विकास एवं सुशासन उत्सव को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 10 हजार करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा

राज्य विधानसभा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वर्ष 2019 से 2023 के बीच बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।

केवल मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में 13 हजार 858 फर्जी लोगों को 8.27 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दी गई। इनमें 13 हजार 750 लोग तो ऐसे हैं, जिनके गांव तक फर्जी लिखे हुए है। उनके नाम व मोबाइल नंबर भी फर्जी मिले हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। अब फर्जी लोगों से वसूली की जाएगी।

कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा

केंद्र व राज्य सरकार के बजट में इस बार कृषि व ग्रामीण विकास को खास महत्व दिया है। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए तेजी से काम होगा।

खेती को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित रखने के बजाय सरकार ने कृषि आधारित उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया है। किसान की आय और बुनियादी सुविधाओं के बढ़ने से गांवों के विकास में तेजी आएगी। सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, स्टार्टअप्स एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने जैसे कई कदम किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।

- दर्शिका यादव, मालपुरा, टोंक

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485